राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

ई–मेल : seaccg@gmail.com

विषय:– <u>राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 16/12/2022 को संपन्न 442वीं बैठक का कार्यवाही विवरण</u>

——00——

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 442वीं बैठक दिनांक 16/12/2022 को डॉ. बी.पी. नोन्हारे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:–

1. डॉ. शैलेश कुमार जाधव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
2. श्री एन.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
3. श्री किशन सिंह ध्रुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
4. डॉ. मोहम्मद रफीक खान, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
5. डॉ. मनोज कुमार चोपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
6. श्री कलदियुस तिर्की, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गया:–

एजेन्डा आयटम क्रमांक–1: 441वीं बैठक दिनांक 15/12/2022 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के संबंध में।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 441वीं बैठक दिनांक 15/12/2022 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–2: गौण/मुख्य खनिजों एवं कंस्ट्रक्शन परियोजना संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति/ टीओआर /अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स बरबसपुर फर्शी पत्थर क्वारी (प्रो.– श्री हेमंत चन्द्राकर), ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2184)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 405506/2022, दिनांक 08/11/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 178/2, कुल क्षेत्रफल–0.18 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–115 घनमीटर (288 टन) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 442वीं बैठक दिनांक 16/12/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री हेमंत चन्द्राकर, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में फर्शी पत्थर खदान खसरा क्रमांक 178/2, कुल क्षेत्रफल– 0.18 हेक्टेयर, क्षमता– 150 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–महासमुंद द्वारा दिनांक 16/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 15/01/2022 तक की अवधि हेतु जारी की गई।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:–

   "9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

   उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 15/01/2023 तक वैध होगी।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   iii. निर्धारित शर्तानुसार 100 नग वृक्षारोपण किया गया है।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1334/क/खलि/न.क्र./2022 महासमुंद, दिनांक 09/12/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2017	निरंक

2018	130
2019	135
2020	93
01/01/2021 से 30/09/2021	54
01/10/2021 से 31/03/2022	97

समिति का मत है कि दिनांक 01/04/2022 से किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बरबसपुर का दिनांक 10/09/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है जो संयुक्त–संचालक (ख.प्र.) संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पृ. ज्ञापन क्र. 4990/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.02/2019(2) नवा रायपुर, दिनांक 26/09/2022 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 224/क/खलि/न.क्रं./2021 महासमुंद, दिनांक 10/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 69 खदानें, क्षेत्रफल 40.42 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1246/क/खलि/न.क्रं./2021 महासमुंद, दिनांक 23/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **लीज का विवरण** – लीज श्री हेमंत चन्द्राकर के नाम पर है। लीज डीड 5 वर्षों अर्थात् दिनांक 24/10/2011 से 23/10/2016 तक वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 25 वर्षों अर्थात् दिनांक 24/10/2016 से 23/10/2041 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि श्री उत्तम कुमार के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमंडल, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./खनिज/2231 महासमुंद, दिनांक 14/05/2008 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 10 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बरबसपुर 1.3 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–बरबसपुर 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल महासमुंद 8.3 कि.मी. दूरी पर

स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.6 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 14.85 कि.मी. दूर है। नहर 650 मीटर, तालाब 1.4 कि.मी., नाला 980 मीटर एवं महानदी 450 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 9,230 टन (3,492 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 1,330 टन (532 घनमीटर) एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 997 टन (399 घनमीटर) है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,352 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 2 मीटर है तथा कुल मात्रा 560 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। स्टोन कटर का उपयोग किया जाता है। ड्रिलिंग व ब्लास्टिंग नहीं किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	288
द्वितीय	275
तृतीय	250
चतुर्थ	263
पंचम	255

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 1.93 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति भू–जल के माध्यम से की जाती है। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 129 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 1,352 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 238 वर्गमीटर क्षेत्र 2 मीटर की गहराई तक, 224 वर्गमीटर क्षेत्र 10 मीटर गहराई तक एवं 247 वर्गमीटर क्षेत्र 14 मीटर गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वॉरी प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष बताया गया कि आवेदक श्री हेमन्त चन्द्राकर के पक्ष में स्वीकृत फर्शी पत्थर उत्खनिपट्टा क्षेत्र का स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 72 घनमीटर खनिज के अवैध उत्खनन किया गया है। उक्त के संबंध में उनके विरूद्ध अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज किया जाकर रूपये 62,440/– अर्थदण्ड आरोपित कर राशि वसूल की गई है। इस संबंध में कार्यालय कलेक्टर

(खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 895/क/ख.लि./न.क्र./22 महासमुंद, दिनांक 14/07/2022 द्वारा अद्यतन मौका जांच प्रतिवेदन की प्रति प्रस्तुत की गई है।

17. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त कमांक VIII (i) के अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

18. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ग्राम–बरबसपुर, घोड़ारी एवं मुढ़ेना, तहसील व जिला–महासमुंद क्षेत्र में 95 पत्थर खदानें, कुल क्षेत्रफल 58.43 हेक्टेयर अवस्थित है। ग्राम–घोड़ारी के मध्य से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में ग्राम–बरबसपुर एवं घोड़ारी क्षेत्र में 70 खदानें, क्षेत्रफल 40.60 हेक्टेयर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के दक्षिण दिशा में ग्राम–घोड़ारी एवं मुढ़ेना क्षेत्र में 25 खदानें, क्षेत्रफल 17.83 हेक्टेयर अवस्थित है। दोनों क्षेत्रों के मध्य की दूरी 660 मीटर है। चूंकि ई.आई.ए. स्टडी के दौरान दोनों क्षेत्रों का बफर जोन एक–दूसरे में ओव्हर लेप हो रहा है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 95 पत्थर खदानों को एक क्लस्टर मानते हुये फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार करने हेतु अनुरोध किया गया। जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।

19. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/10/2021 से प्रारंभ किया गया। उक्त के संबंध में दिनांक 28/09/2021 को सूचना दी गई थी।

20. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 224/क/खलि/न.क्रं./2021 महासमुंद, दिनांक 10/02/2022 के अनुसार

आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 69 खदानें, क्षेत्रफल 40.42 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–बरबसपुर) का रकबा 0.18 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–बरबसपुर) को मिलाकर कुल रकबा 40.6 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन के संबंध में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को पत्र लेख किया जाए।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

   ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

   iii. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

   iv. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

   v. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

   vi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

vii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

viii. Project proponent shall submit production details to till date from the mining department.

ix. Project proponent shall submit a study report regarding impact on Riverine Ecology of the study area including Mahanadi River.

x. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xiii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xiv. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xvi. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xvii. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xviii. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xix. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the

plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (उरंगा एवं बरिमा बाक्साईट माईन), ग्राम–उरंगा एवं बरिमा, तहसील–मैनपाट, जिला–सरगुजा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2186)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – आईए/ सीजी/ एमआईएन/ 253231/2022, दिनांक 25/01/2022 द्वारा टी.ओ.आर हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली में आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 405926/2022, दिनांक 11/11/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित बॉक्साईट (मुख्य खनिज) खदान है। खदान ग्राम–उरंगा एवं बरिमा, तहसील–मैनपाट, जिला–सरगुजा, कुल क्षेत्रफल – 179.595 हेक्टेयर (निजी भूमि – 168.124 हेक्टेयर एवं शासकीय भूमि – 11.471 हेक्टेयर) में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित कुल उत्खनन क्षमता – 11,00,000 टन प्रतिवर्ष [आरओएम उत्खनन क्षमता – 8,50,000 टन प्रतिवर्ष (सेलेबल बॉक्साईट खनिज 4,00,000 टन प्रतिवर्ष, सबग्रेड खनिज 1,52,500 टन प्रतिवर्ष, वेस्ट खनिज 2,97,500 टन प्रतिवर्ष) एवं ओव्हर बर्डन क्षमता – 2,50,000 टन प्रतिवर्ष] है। परियोजना की कुल प्रस्तावित लागत 12.73 करोड़ होगी।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक No.IA-J-11015/9/2022-IA-II(NCM), दिनांक 11/03/2022 द्वारा स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया है। तत्पश्चात् भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1886(अ), दिनांक 20/04/2022 के प्रावधानों के तहत् कोयले के अलवा अन्य प्रमुख खनिज खनन पट्टे के संबंध में 250 हेक्टेयर से कम के प्रकरण पर विचार राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.)/ राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.) को है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 442वीं बैठक दिनांक 16/12/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री उपेन्द्र कुमार, डिप्टी जनरल मैनेजर एवं श्री सुशील कुमार चन्द्राकर, एसीसटेंट जनरल मैनेजर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में श्रुस्ती सेवा प्राईवेट लिमिटेड, नागपुर की ओर से श्री उमाकान्त रोड़े उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत उरंगा का दिनांक 08/07/2022 एवं ग्राम पंचायत बरिमा का दिनांक 06/06/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान एण्ड प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक सरगुजा/बॉक्स/खयो–1304/2021–रायपुर, दिनांक 23/02/2022 द्वारा अनुमोदित है।

4. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक एफ 3–7/2021/12 नवा रायपुर, दिनांक 30/09/2021 द्वारा एल.ओ.आई. जारी की गई है, जो दिनांक 28/03/2023 तक वैध है।

5. **भू–स्वामित्व** – भूमि स्वामित्व संबंधी जानकारी/दस्तावेज (बी–1, पी–2) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

6. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

7. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमंडल, अम्बिकापुर के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./2313 अम्बिकापुर, दिनांक 13/12/2022 से जारी प्रमाण पत्र अनुसार निम्न तथ्यों का उल्लेख है:–

   i. प्रस्तावित खनिपट्टा क्षेत्र में पाये जाने वाले वन्यप्राणी सेड्यूल 1 के नहीं है, खदान क्षेत्र से 10 कि.मी. दूरी पर प्रवासी हाथियों का यदा–कदा अल्प समय हेतु आवागमन होता है। समिति का मत है कि 10 किलोमीटर की परिधि में हाथियों का आवागमन होना पाये जाने के कारण आवेदक संस्थान द्वारा क्षेत्र की वन्य प्राणी संरक्षण योजना तैयार कर, विधिवत् सक्षम प्राधिकारी (प्रधान मुख्य वन संरक्षक(व.प्रा.) सह मुख्य वन्यप्राणी) से अनुमोदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   ii. प्रस्तावित बाक्साईट खनिपट्टा क्षेत्र के 10 कि.मी. त्रिज्या (कोर एवं बफर जोन) में राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, बायो स्पेयर रिजर्व, टाईगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, प्रवासी पक्षियों का स्थल एवं अन्य वन प्राणियों के लिए कॉरीडोर आदि स्थित नहीं है।

   iii. प्रस्तावित बाक्साईट खनिपट्टा क्षेत्र राजस्व भूमि और निजी भूमि होने के कारण वन अधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–उरंगा 50 मीटर., शहर मैनपाट 6.3 कि.मी. एवं रेल्वे स्टेशन अम्बिकापुर 65 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 13.8 कि.मी. दूर है। मनगरदा नाला 1.5 कि.मी., सनगुद नदी 3 कि.मी. दूर है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 1,07,17,590 टन एवं माईनेबल रिजर्व 28,95,750 टन है।

ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 17 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 3,44,540 टन एवं ओव्हर बर्डन 2,50,000 टन प्रतिवर्ष है। जिसका उपयोग पुनःभराव एवं वृक्षारोपण हेतु किया जाएगा। खदान की संभावित आयु 12 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (ROM टन)	सेलेबल मिनरल्स (टन)	वेस्ट मिनरल्स (टन)	सब ग्रेड मिनरल्स (टन)
प्रथम	1,55,640	55,538	54,474	45,628
द्वितीय	1,96,200	74,942	68,670	52,588
तृतीय	2,37,960	1,00,111	83,286	54,563
चर्तुथ	4,79,160	1,43,492	1,67,706	1,67,962
पंचम	4,77,600	1,99,750	1,67,160	1,10,690

11. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 25 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत से की जाएगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

12. **वृक्षारोपण कार्य** – प्रस्तावित क्षेत्र के कोर एरिया कृषि भूमि होने के कारण उत्खनन उपरांत भूमि का पुनःभराव कर भू–स्वामी को पुनः प्रदान की जाएगी, जिसके कारण वृक्षारोपण ग्राम पंचायत से सहमति उपरांत ली गई भूमि में कुल 92,000 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

13. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

14. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण** :–

    i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य मार्च 2022 से मई 2022 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 5 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 5 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 3 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 4 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

    ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल**:–

Concentration level (µg/m³) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	**Minimum (µg/m³)**	**Maximum (µg/m³)**	**CPCB Standard (µg/m³)**
$PM_{2.5}$	11.2	21.8	60
PM_{10}	34.3	51.1	100
SO_2	5.7	10.9	80
NO_x	8.5	14.4	80

    iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता**:– ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइडस, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लेड, आर्सेनिक एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तरः–

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L_{eq}	39.5	54.6	75
Night L_{eq}	33.3	40.8	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. **पी.सी.यू. की गणनाः**– भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 133 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.01 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 611 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 744 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.056 होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (zone of free flow) के भीतर है।

15. लोक सुनवाई दिनांक 20/09/2022 प्रातः 11:00 बजे स्थान – स्टेडियम तहसील कार्यालय के सामने, ग्राम–नर्मदापुर, तहसील–मैनपाट, जिला–सरगुजा में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 21/10/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।

16. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. परियोजना के अंतर्गत जिन भू–स्वामियों से उनकी भूमि ली जाती है उन्हें खदान में रोजगार नहीं मिलता है।

ii. खदान के कारण आस–पास के क्षेत्र का पर्यावरण प्रभावित होगा एवं परिवहन मार्ग के क्षतिग्रस्त होने से धुल उत्सर्जन होगा।

iii. खदान क्षेत्र के आसपास कृषि/रहवासी क्षेत्र को ब्लास्टिंग के दौरान होने वाली नुकसान के रोकथाम के लिए क्या उपाय अपनाये जायेंगे?

iv. ग्राम पंचायत बरीमा में सीएमडीसी खदान कार्य कर रही है, लेकिन वहां के ग्रामवासियों को ना तो काम दिया जाता है, न साइट दिखाया जाता है, न बी.डी. रजिस्टर में नाम चढ़ाया जाता है।

v. हमारे ग्राम पंचायत बरीमा के लोग त्रस्त है, ना तो पानी की व्यवस्था है, ना तो रोड की व्यवस्था है, ना तो स्वास्थ्य की सुविधा है।

vi. यह के लोगों को रोजगार दिया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार हैः–

i. इस परियोजना के अंतर्गत भू–स्वामियों से उनकी भूमि का फसल मुआवजा दे कर केवल 7 वर्षों के लिए पट्टे पर लिया जायेगा। प्रभावित परिवारों में से प्रत्येक परिवार से कम से कम एक सदस्य को उनकी योग्यतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जाएगी।

ii. खदान के चारों तरफ वृक्षारोपण किया जाएगा। साथ ही कन्ट्रोल ब्लास्टिंग एवं खनिज परिवहन मार्ग के दोनों तरफ सघन वृक्षारोपण एवं नियमित रूप से जल छिड़काव किया जाएगा।

iii. डी.जी.एम.एस. के नियमानुसार कन्ट्रोल ब्लास्टिंग एवं वेट ड्रिलिंग किया जाएगा, ताकि फसलों एवं कृषि योग्य भूमि को क्षति न हो।

iv. सीएमडीसी की प्रस्तावित उरंगा–बरीमा बॉक्साईट खदान में सीएमडीसी द्वारा प्रत्येक प्रभावित परिवार से 1 सदस्य को योग्यतानुसार रोजगार दिलाने हेतु प्रतिबद्ध है। साथ ही उनका नाम बी. एवं डी. रजिस्टर में प्राथमिकता के आधार पर जुड़वाया जाएगा।

v. ग्राम उरंगा–बरीमा एवं आस–पास के अन्य ग्रामों के ग्रामीण विकास में सहयोग एवं मूलभूत सुविधाओं को उपलबद्ध कराया जाएगा। समय–समय पर स्वास्थ्य सिविर एवं जागरूकता अभियान का आयोजन किया जाएगा। पेय जल उपलबद्ध कराने हेतु गांव की आवश्यकतानुसार नलकुपों का खनन किया जाएगा। सड़को का रख–रखाव एवं प्रतिक्षलयों का निर्माण आदि सुविधाएं ग्राम पंचायत के सहयोग से आवश्यकतानुसार समय–समय पर किया जाएगा।

vi. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

17. **इन्व्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा इन्व्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार प्रथम वर्ष में टैंकर के माध्यम से जल छिड़काव हेतु 25 लाख, गारलेण्ड निर्माण हेतु 3 लाख, रिटेनिंग वाल हेतु 2 लाख, बोल्डर चेक प्लग हेतु 1.5 लाख, ध्वनि रोधक हेतु 1 लाख, मॉनिटरिंग हेतु 2 लाख, सोलर पैनल हेतु 1 लाख, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग हेतु 1 लाख, श्रमिकों के हेल्थ चेकअप फेसिलिटी, ट्रेनिंग, जागरूकता आदि हेतु 1 लाख, श्रमिकों के सुरक्षा उपकरण हेतु 0.22 लाख एवं अन्य हेतु 3 लाख रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल 52.72 लाख रूपये एवं आगामी वर्षों में रूपये 20 लाख प्रतिवर्ष व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

18. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् 25.5 लाख रूपये का ईको पार्क निर्माण हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् ईको पार्क निर्माण हेतु विस्तृत प्रस्ताव (Detailed Project Report) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

19. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्षा जल के बहाव को रोकने हेतु गारलेण्ड ड्रेन एवं लूज पार्टिकल्स को रोकने के लिये रिटेनिंग वॉल की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के गाईडलाईन्स के अनुसार सतत् परिवेशीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग स्टेशन की स्थापना किया जाएगा।

20. खदान की आयु तक 133.47 हेक्टेयर क्षेत्रफल में उत्खनन कार्य किया जाएगा एवं शेष 46.125 हेक्टेयर क्षेत्रफल को सुरक्षात्मक दृष्टिकोण एवं खनिज उपलब्धता नहीं होने के कारण इस क्षेत्र में उत्खनन कार्य नहीं की जाएगी।

21. उत्खनित कुल क्षेत्रफल 133.47 हेक्टेयर में से 105.47 हेक्टेयर क्षेत्रफल का पुनःभराव किया जाएगा, 25 हेक्टेयर क्षेत्रफल का उपयोग सबग्रेड स्टॉक एवं 3 हेक्टेयर को वाटर रिर्जवायर के रूप में उपयोग किया जाएगा।

22. "सी.एम.डी.सी. द्वारा प्रस्तावित लीज क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले खनन क्षेत्र के स्थित प्रत्येक भू-स्वामी/खातेदारों को रूपये 72,500 प्रति एकड़ प्रतिवर्ष की दर से 07 वर्षों की अवधि के लिये क्षतिपूर्ति फसल मुआवजा का भुगतान किया जावेगा। उक्त 07 वर्ष की अवधि संबंधित भूमि में खनन प्रारंभ होने के दिनांक से प्रारंभ हो कर आगामी 07 वर्ष की अवधि की समाप्ति तक माना जावेगा।" इस आशय का सहमति पत्र (Notarized Agreement) प्रस्तुत किया गया है।

23. "भारतीय खान ब्यूरो द्वारा इस खदान के लिए अनुमोदित माईनिंग प्लान/माईनिंग स्कीम के अनुसार ही सी.एम.डी.सी. द्वारा भूमि स्वामियों की भूमि को खनन के लिए आवश्यकतानुसार विभिन्न चरणों में लिया जाएगा।" इस आशय का सहमति पत्र (Notarized Agreement) प्रस्तुत किया गया है।

24. "समस्त खातेदारों द्वारा खनन संचालन हेतु पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान किया जावेगा एवं भविष्य में खनन कार्य में काई व्यवधान उत्पन्न नहीं किया जावेगा।" इस आशय का सहमति पत्र (Notarized Agreement) प्रस्तुत किया गया है।

25. "इस सहमति के आधार पर भू-अर्जन अधिकारी द्वारा ग्राम बरिमा तथा उरंगा के प्रभावित भूमि स्वामियों के भूमि के लिए क्षतिपूर्ति मुआवजा निर्धारण आदेश जारी किया जावेगा।" इस आशय का सहमति पत्र (Notarized Agreement) प्रस्तुत किया गया है।

26. "सी.एम.डी.सी. द्वारा खातेदारों को मुआवजा का भुगतान भू-अर्जन अधिकारी के माध्यम से ही किया जावेगा।" इस आशय का सहमति पत्र (Notarized Agreement) प्रस्तुत किया गया है।

27. "सी.एम.डी.सी. के खनन क्षेत्र में स्थानीय नागरिकों/ भू-स्वामियों को कार्य में प्राथमिकता होगी। समस्त खातेदारों को उनकी भूमि उत्खनन पश्चात् समतलीकरण करने वापस की जावेगी।" इस आशय का सहमति पत्र (Notarized Agreement) प्रस्तुत किया गया है।

28. "सी.एम.डी.सी. द्वारा निजी भूमि के भू-स्वामी को बाक्साईट खनिज का उत्खनन एवं परिवहन करने के पश्चात् समतलीकरण कर समयावधि में वापस किया जाना है उपरोक्त क्षेत्रों के स्वीकृत क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की परिधि पर वृक्षारोपण किया जाना अनिवार्य होता है परन्तु निजी भू-स्वामियों द्वारा निजी भूमि पर वृक्षारोपण का विरोध किया जाता है क्योंकि उनको खनन उपरांत खेती किया जाना होता है।" इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

29. "सी.एम.डी.सी. को स्वीकृत क्षेत्रो में निजी भूमि के बराबर (7.5 मीटर की परिधि में) अन्य क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों/सरपंच/अन्य अधिकृत प्रतिनिधियों से सलाह कर उन क्षेत्रों में वृक्षारोपण किये जाने हेतु सी.एम.डी.सी. वचनबद्ध है।" इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

30. "CMDC undertakes that the contents of EIA/EMP are true and correct to bets of my knowledge and belief, that nothing has been concealed" शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

31. "This is new project, therefore Hor'ble Supreme court of India' judgment dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and ors. Shall not be applicable to this project." शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

32. "CMDC will obtain the consent of all land owners within the mining lease area before the commencement of mining operation" शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

33. "CMDC will obtain approval of Biodiversity Management Plan (including Wildlife Conservation Plan) form PCCF (Wildlife)/Chief Wildlife warden, Chhattisgarh or any other competent authority as per the requirement of project before the commencement of mining operation" शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. भूमि स्वामित्व संबंधी जानकारी/दस्तावेज (बी–1, पी–2) प्रस्तुत किया जाए। साथ ही उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र की प्रति (यदि आवश्यक हो तो) प्रस्तुत किया जाए।
2. 10 किलोमीटर की परिधि में हाथियों का आवागमन होना पाये जाने के कारण आवेदक संस्थान द्वारा क्षेत्र की वन्य प्राणी संरक्षण योजना तैयार कर, विधिवत् सक्षम प्राधिकारी (प्रधान मुख्य वन संरक्षक(व.प्रा.) सह मुख्य वन्यप्राणी) से अनुमोदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् ईको पार्क निर्माण हेतु विस्तृत प्रस्ताव (Detailed Project Report) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स क्वीन्स ग्रीन इस्टेट प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–नवागांव–तूता (सेक्टर–24), झांझ लेक, मुक्तीधाम के पास, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2181)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएस/ 67156/ 2021, दिनांक 31/08/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ इन्फ्रा2/405169/ 2022, दिनांक 05/11/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–नवागांव–तूता (सेक्टर–24), झांझ लेक, मुक्तीधाम के पास, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक – 4/2 एवं अन्य 196 खसरे, क्षेत्रफल – 56.17 हेक्टेयर (134 एकड़) में प्रस्तावित रेसीडेंशियल कॉम्पलेक्स के साथ गोल्फ कोर्स एवं एमेनिटिस के पर्यावरणीय

स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित परियोजना की कुल लागत 100 करोड़ होगा।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1410, दिनांक 28/09/2021 द्वारा उल्लंघन का प्रकरण होने के कारण अधिसूचना का. आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार एवं प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई. एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 8(बी) टाउनशिप्स एण्ड एरिया डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट्स का स्टैण्डर्ड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 442वीं बैठक दिनांक 16/12/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु महेश वाधवानी, सी.ई.ओ. एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स पायोनियर इन्वायरो लेबोरट्रीज एण्ड कन्सलटेन्ट प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री सुधीर सिंह उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

   - निकटतम केपिटल कॉम्पलैक्स 2.5 कि.मी., रेलवे स्टेशन मंदिर हसौद 9.25 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 4.95 कि.मी एवं राष्ट्रीय राजमार्ग 0.95 कि.मी. दूर है। खारून नदी 13.9 कि.मी. दूर है।
   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

2. सयुंक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/13474/नग्रानि/धारा–30'क'/पी.एल.07/17 रायपुर, दिनांक 22/11/2017 अनुसार विकास अनुज्ञा जारी की गई।

3. भवन अधिकारी, नया रायपुर डेव्लपमेन्ट आर्थोरिटी के ज्ञापन क्र 2390–5–/यो. न.नि.प्र./भ.नि.अ./एन.आर.डी.ए./2018 नया रायपुर, दिनांक 24/03/2018 द्वारा कुल निर्मित क्षेत्रफल 41,910.74 वर्गमीटर हेतु भवन निर्माण अनुज्ञा जारी की गई।

4. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

S. No.	Particulars	Area (in m^2)	Percentage (%)
1.	Golf Course	3,78,539.80	67.38
2.	Golf Parking and Roads	31,160.20	5.55
3.	Admin Building and club house	20,998.94	4.31
4.	Parking (Admin and club house)	3,221.97	
5.	Residential Area	84,139.80	14.98

6.	OSR	13,008.15	2.32
7.	Residential and commercial road	25,091.40	4.47
8.	Commercial	5,563	0.99
	Total	**5,61,723.26**	**100.00**

5. **वायु प्रदूषण नियंत्रण** – निर्माण के दौरान उत्पन्न फ्युजिटिव डस्ट के नियंत्रण हेतु ग्रीन नेट से ढक कर निर्माण कार्य एवं नियमित जल छिड़काव किया गया है। शेष निर्माण कार्यों के लिए भी उपरोक्त व्यवस्था अपनाई जाएगी। आंतरिक मार्गों का पक्कीकरण किया जाएगा।

6. **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन** – निर्माण के दौरान उत्खनित मिट्टी को ढके हुए क्षेत्र में रखा जाएगा एवं उस मिट्टी का उपयोग लेण्ड स्केपिंग, लेवलिंग एवं बैक फिलिंग में उपयोग किया जाएगा। रिसाईक्लेबल अपशिष्टों को अधिकृत वेण्डर्स को विक्रय किया जाएगा। ब्रोकन ब्रिक्स, ब्रोकन टाईल्स आदि का रोड निर्माण कार्य में उपयोग किया जाएगा। परियोजना से ठोस अपशिष्ट के संग्रहण हेतु तीन कलर बिन/बैग पद्धति अपनायी जाएगी। परियोजना से उत्पन्न कुल ठोस अपशिष्ट की मात्रा 706.61 किलोग्राम प्रतिदिन (वेट अपशिष्ट 431.61 किलोग्राम प्रतिदिन एवं रिसाईक्लेबल अपशिष्ट 206.25 किलोग्राम प्रतिदिन एवं इनर्ट 68.75 किलोग्राम प्रतिदिन) तथा स्लज 16.4 किलोग्राम प्रतिदिन एवं वेस्ट ऑयल 100 लीटर प्रतिवर्ष होगी। उत्पन्न ठोस अपशिष्टों को वेट एवं रिसाईक्लेबल के अनुसार संग्रहित किया जाएगा। प्लास्टिक वेस्ट को वेस्ट रिसाईक्लर को उपलब्ध कराया जाएगा एवं बॉयो डिग्रेडेबल वेस्ट को ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर में ट्रिट कर खाद में परिवर्तित करने के उपरांत भू–भराव हेतु उपयोग किया जाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से उत्पन्न स्लज का उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाएगा एवं वेस्ट ऑयल को एस.पी.सी.बी. से मान्यता प्राप्त विक्रेता को उपलब्ध कराया जाएगा।

7. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना में ऑपरेशन फेज हेतु 185 घनमीटर प्रतिदिन (फ्रेश वॉटर हेतु 126 घनमीटर प्रतिदिन एवं रिसाइकल वॉटर हेतु 59 घनमीटर प्रतिदिन) जल का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। जल की आपूर्ति परियोजना हेतु अटल नगर विकास प्राधिकरण, नवा रायपुर से की जाएगी।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण** – दूषित जल की मात्रा 164 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू से 104.3 घनमीटर प्रतिदिन एवं फलशिंग से 59 घनमीटर प्रतिदिन) उत्पन्न होगा। दूषित जल के उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 175 घनमीटर प्रतिदिन, स्थापित किया जाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंतर्गत ऑयल एण्ड ग्रिस ट्रैप, इक्विलाइजेशन टैंक, एमबीबीआर रियेक्टर, ट्यूब सेटलर, स्लरी कलेक्शन टैंक, सर्ज टैंक, प्रेशर सेण्ड फिल्टर तथा एक्टीवेटेड कार्बन फिल्टर आदि स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उपचारित दूषित जल को डिसइन्फेक्शन (क्लोरिन के माध्यम से) कर विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाएगा। उपचारित जल को फलशिंग हेतु 59 घनमीटर प्रतिदिन, फ्लोर क्लिनिंग हेतु 20 घनमीटर प्रतिदिन एवं हार्टिकल्चर हेतु 81 घनमीटर प्रतिदिन उपचारित जल का उपयोग किया

जाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से उत्पन्न स्लज का उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाएगा।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

8. **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – परिसर में वर्षा जल का कुल रनऑफ 1,776 घनमीटर है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 64 नग रिचार्ज पिट (व्यास 3 मीटर एवं गहराई 4 मीटर) क्षमता का निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।
9. **विद्युत खपत** – परियोजना हेतु 2,200 किलोवॉट की आवश्यकता होगी। जिसमें से 406 किलोवॉट विद्युत की आपूर्ति सोलर पॉवर के माध्यम से होगी एवं शेष विद्युत आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से किया जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 1 नग 400 के.वी.ए. का डी.जी. सेट स्थापित किया जाएगा। डी.जी. सेट को एकॉस्टिकली इंक्लोजर में स्थापित किया जाएगा, जिससे संलग्न चिमनी की ऊंचाई ग्राउण्ड लेवल से 3 मीटर (सी.पी.सी.बी. द्वारा निर्धारित नॉर्म्स के आधार पर) रखा जाएगा।
10. **वृक्षारोपण संबंधी विवरण** – परियोजना हेतु 3,78,539.8 वर्गमीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।
11. **ऊर्जा संरक्षण उपाय** – परिसर में सभी स्थलों पर एल.ई.डी. लाइट प्रयुक्त किया जाएगा। लेण्ड स्कैपिंग एवं ड्राईव–वे में सोलर एल.ई.डी. लाईटिंग सिस्टम प्रस्तावित है। इस प्रकार कुल 406 किलोवॉट विद्युत की आपूर्ति सोलर पॉवर के माध्यम से उपयोग किया जाएगा।
12. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण :–**

    i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य 16 अक्टूबर, 2021 से 15 जनवरी 2022 के मध्य किया गया है। 2 किलोमीटर के अंतर्गत 05 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 05 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 05 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन तथा 05 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

    ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल :–**

Concentration level (μg/m^3) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	**Minimum (μg/m^3)**	**Maximum (μg/m^3)**	**CPCB Standard (μg/m^3)**
$PM_{2.5}$	31.2	43	60

PM_{10}	51.8	71.8	100
SO_2	13.5	19.2	80
NO_2	25.1	36.5	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता:–** ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइडस, फ्लोराईट, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लेड, आर्सेनिक, मर्करी, कैडमियम एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तर:–**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	**Minimum dB (A)**	**Maximum dB (A)**	**CPCB Standard dB (A)**
Day L_{eq}	48	52	75
Night L_{eq}	39	43	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. **पी.सी.यू. की गणना:–** भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 213.8 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.07. है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 45 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 258.8 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.09 होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Excellent 0.0-0.2) के भीतर है।

13. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् प्रस्तावित परियोजना के 10 कि.मी. की परिधि में ईको पार्क की स्थापना अथवा तालाब के चारों तरफ वृक्षारोपण करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् उक्त वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना निर्माण कार्य प्रारंभ किये जाने के कारण उल्लंघन का प्रकरण है। उल्लंघन का प्रकरण होने के कारण परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेमेडियल प्लान तथा नेचुरल एवं कम्युनिटी रिसोर्स ऑग्युमेंटेशन प्लान प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार वायु को क्षति पहुंचाने हेतु राशि 6,70,000 रूपये, ध्वनि को क्षति पहुंचाने हेतु राशि 50,000 रूपये, जल को क्षति पहुंचाने हेतु राशि 8,75,000 रूपये, भूमि को क्षति पहुंचाने हेतु राशि 5,90,000 रूपये, पारिस्थितिकीय पर्यावरण (फ्लोरा एवं फौना) को क्षति पहुंचाने हेतु राशि 2,50,000 रूपये, सोसियो इकोनॉमिक हेतु 1,00,000 रूपये इस प्रकार कुल 29.1 लाख रूपये का प्लान प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना निर्माण कार्य किस दिनांक से प्रारंभ कर किस

दिनांक तक किया गया है? इस संबंध में जानकारी (Detailed Project Report) प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स श्री सीमेंट लिमिटेड (मोहरा (ब्लॉक–ए) लाईम स्टोन ब्लॉक), ग्राम–मोहरा, तहसील–सिमगा तथा ग्राम–पत्थरचुआ एवं भालुकोना, तहसील–पलारी, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2121)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /81526/2022, दिनांक 02/08/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 17/08/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 14/11/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (मुख्य खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मोहरा, तहसील–सिमगा तथा ग्राम–पत्थरचुआ एवं भालुकोना, तहसील–पलारी, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा स्थित ग्राम–भालुकोना, तहसील–पलारी स्थित खसरा क्रमांक 1, 2 एवं अन्य 50 खसरे, ग्राम–मोहरा, तहसील–सिमगा स्थित खसरा क्रमांक 1673/1, 1673/2 एवं अन्य 34 खसरे, ग्राम–पत्थरचुआ, तहसील–पलारी स्थित खसरा क्रमांक 144, 154 एवं अन्य 327 खसरे, कुल क्षेत्रफल–127.046 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित Limestone Production- 1.50 Million TPA, Over burden- 0.16 Million TPA, Inter burden- 0.008 Million TPA, Screen Waste- 0.167 Million TPA, Top Soil- 0.012 Million TPA, Total Excavation: 1.847 Million TPA, Proposed Primary Crusher - 800 TPH & Secondary Crusher - 400 TPH along with Wobbler है। प्रस्तावित परियोजना की कुल लागत 76.57 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 442वीं बैठक दिनांक 16/12/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रवि तिवारी, मुख्य कार्यपालक एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स जेएम इन्वायरोनेट प्राईवेट लिमिटेड, गुड़गांव की ओर से डॉ. अनिल कुमार त्रिवेदी उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन एवं क्रशर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत फुण्डहरडीह का दिनांक 27/09/2022, ग्राम पंचायत मुसुवाडीह का दिनांक 14/10/2022 एवं ग्राम पंचायत मोहरा का 11/11/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान विथ प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो के ज्ञापन क्रमांक

/बलोदा–भाटा/चुप/खयो–1331/2022 रायपुर, दिनांक 20/05/2022 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 564/तीन–6/न.क्रं./2022, बलौदाबाजार, दिनांक 20/09/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, रकबा 5.983 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 564/तीन–6/न.क्रं./2022 बलौदाबाजार, दिनांक 20/09/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है, अपितु 200 मीटर की परिधि में माइनर नहर एवं दक्षिण दिशा में बरसाती नाला स्थित है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. मेसर्स श्री सीमेंट लिमिटेड के नाम पर है, जो छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक/एफ 3–05/2020/12 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 31/01/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 3 वर्ष की अवधि तक है।

7. **भू–स्वामित्व** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कुल भूमि 127.046 हेक्टेयर में से 1.744 हेक्टेयर शासकीय भूमि, 0.101 हेक्टेयर चारागाह भूमि एवं 125.201 हेक्टेयर भूमि मेसर्स श्री सीमेंट लिमिटेड के नाम पर है। कुल क्षेत्रफल 127.046 हेक्टेयर क्षेत्र को नक्शे में चिन्हित (को–ऑर्डिनेट्स सहित) कर प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि भू–स्वामित्व की जानकारी खसरावार सारणीबद्ध कर (Tabular form) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बलौदाबाजार वनमण्डल, बलौदाबाजार के ज्ञापन क्रमांक/तकनीकी/खनिज/2500 बलौदाबाजार, दिनांक 12/09/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से लगभग 7.42 कि.मी. की दूरी पर है। प्रस्तुतीकरण के दौरान के.एम.एल. फाईल से देखने पर आवेदित क्षेत्र बारनवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा से लगभग 27 कि.मी. की दूरी पर होना पाया गया।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–पत्थरचुआ 150 मीटर एवं अस्पताल रैंगाडीह 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानन्द विमानतल अंतर्राष्टीय हवाई अड्डा, रायपुर 42 कि.मी. की दूरी पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11 कि.मी. दूर है। टेंगना नाला 170 मीटर, चितवर नाला एवं महानदी नहर 500 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय

संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 56.847 मिलियन टन, माईनेबल रिजर्व 51.234 मिलियन टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 37,460 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 31 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी मात्रा 0.398 मिलियन टन है एवं ओव्हर बर्डन की मात्रा 5.554 मिलियन टन है। बेंच की ऊंचाई 12 मीटर एवं चौड़ाई 30 मीटर है। खदान की संभावित आयु 42 वर्ष से अधिक है। लीज क्षेत्र में 2 क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी क्षमता क्रमशः 800 एमटीएच एवं 400 एमटीएच है। ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	आई.बी. (टन)	स्क्रीन वेस्ट (टन)	आरओएम उत्खनन (टन)
प्रथम	–	–	–
द्वितीय	–	8,333	83,333
तृतीय	–	11,111	1,11,111
चतुर्थ	–	13,889	1,38,889
पंचम	–	16,667	1,66,667

आगामी वर्षों का उत्खनन विवरण

वर्ष	आई.बी. (टन)	स्क्रीन वेस्ट (टन)	आरओएम उत्खनन (टन)
षष्टम	5,355	22,222	2,22,222
सप्तम	5,355	22,222	2,22,222
अष्टम	5,355	55,556	5,55,556
नवम	5,355	1,11,111	11,11,111
दशम	8,260	1,66,667	16,66,666

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 100 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसमें से डस्ट सप्रेशन (उत्खनन प्रक्रिया एवं क्रशर) हेतु 50 घनमीटर प्रतिदिन, पेयजल तथा घरेलू उपयोग हेतु 5 घनमीटर प्रतिदिन, वर्कशॉप हेतु 15 घनमीटर प्रतिदिन तथा वृक्षारोपण हेतु 30 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति का स्त्रोत/माध्यम संबंधी जानकारी एवं संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 9,300 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन नहीं किया गया है।

16. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कुल क्षेत्रफल 127.046 हेक्टेयर में से 21.9 हेक्टेयर क्षेत्र को शासन एक्सप्लोर नहीं किये जाने के कारण अबाधित क्षेत्र (Undisturbed Area) रखा गया है।

17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के भीतर 800 एमटीएच एवं 400 एमटीएच क्षमता के 2 नग क्रशर स्थापित किया

जाना प्रस्तावित है, क्रशर को कवर्ड शेड में रखा जाना प्रस्तावित है तथा क्रशर में वायु प्रदुषण नियंत्रण हेतु बैग फिल्टर लगाया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि क्रशर की स्थापना निकटतम रहवासी क्षेत्र से दूरी रखते हुए ले–आउट प्लान में दर्शाते हुए ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य अक्टूबर 2022 से दिसंबर 2022 के मध्य किया जाएगा। इस संबंध में समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण के दौरान बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 15 जनवरी 2023 तक किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 564/तीन–6/न.क्रं./2022, बलौदाबाजार, दिनांक 20/09/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, रकबा 5.983 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–मोहरा, पत्थरचुआ एवं भालुकोना) का रकबा 127.046 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–मोहरा, पत्थरचुआ एवं भालुकोना) को मिलाकर कुल रकबा 133.029 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. **Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.**

   ii. **Project proponent shall submit the top soil & overburden management plan & incorporate the details in the EIA report.**

   iii. **Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.**

   iv. **Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.**

   v. **Project proponent shall submit the land documents (B-1) with khasra number in tabular form & also submit the consent letter from land owners for uses of land (If required).**

   vi. **Project proponent shall submit the details of water requirement along with its source and shall also submit a copy of NOC for usage of water from competent authority.**

vii. Project proponent shall ensure that the establishment of crusher is away from the habitation and submit a layout plan with KML file and incorporate in the EIA report.

viii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

ix. Project proponent shall submit an action plan for the conservation and maintainance of water bodies & prepare and submit a study report regarding impact on Riverine Ecology of the study area including Mahanadi.

x. Project proponent shall submit aerobiological study report.

xi. Project proponent shall submit details of water balance chart & ETP with process flow diagram and proposal for maintaining zero discharge condition.

xii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

xiii. EIA study shall be done at minimum 08 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xiv. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xv. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rainwater harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

xvi. Project proponent shall submit the details of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xvii. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xviii. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xix. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xx. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xxi. Project proponent shall submit the area details of crusher and details of pollution control arrangement in crusher.

xxii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स बास्तानार ऑर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री धीरेन्द्र कुमार सिंह), ग्राम–बास्तानार, तहसील–बास्तानार, जिला–बस्तर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2185)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 406052/2022, दिनांक 11/11/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बस्तानार, तहसील–बस्तानार, जिला–बस्तर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 620, कुल क्षेत्रफल–5.710 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–5,462.5 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 442वीं बैठक दिनांक 16/12/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुनील ठाकुर, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि कार्यालय वनमण्डलाधिकारी बस्तर वनमण्डल, जगदलपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./3334 जगदलपुर, दिनांक 31/08/2016 से जारी प्रतिवेदन अनुसार "प्रस्तावित खसरा क्रमांक 620 (नया) का खसरा क. 410/1 (पुराना) रकबा 5.710 हेक्येटर के.सी. कामरान प्लान रिपोर्ट में असीमांकित संरक्षित वन (नारंगी वनक्षेत्र) मद में दर्ज है। जिसमे असीमांकित संरक्षित वनखण्ड बास्तानार (ब) एवं किस्कोपारा (बास्तानार) निर्मित किया गया है तथा वनखण्ड की अधिसूचना प्रस्ताव तैयार कर शासन को प्रेषित करने हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू–सर्वेक्षण) छ.ग. रायपुर की ओर प्रेषित किया गया है।

अतः उक्त आवेदित क्षेत्र वन संरक्षण अधिनियम 1980 की परिधि में आता है। जिसे गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् निर्धारित प्रकिया अनुसार भारत शासन से अनुमति प्राप्त की जा सकती है।" का उल्लेख है।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में समिति का मत है कि वन भूमि के गैर वानिकी कार्य उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत आवश्यक स्वीकृति स्टेज–1 फारेस्ट क्लीयरेंस प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन भूमि के गैर वानिकी कार्य उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत आवश्यक स्वीकृति स्टेज–1 फारेस्ट क्लीयरेंस प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स मंदिरहसौद लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री मोटूमल आडवानी), ग्राम–मंदिरहसौद, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2188)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 406264/ 2022, दिनांक 12/11/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मंदिरहसौद, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 725/2, 745, 747 एवं 748, कुल क्षेत्रफल–1.035 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता– 15,360 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 442वीं बैठक दिनांक 16/12/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मोटूमल आडवानी, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 725/2, 745, 747 एवं 748, कुल क्षेत्रफल–2.56 एकड़, क्षमता–14,150 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–रायपुर द्वारा दिनांक 24/06/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 3 वर्ष अर्थात् दिनांक 23/06/2020 हेतु वैध थी।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:–

   "9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

   उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 23/06/2021 तक वैध थी।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि चूंकि यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार 500 नग वृक्षारोपण किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 2055/ख.लि./2022 रायपुर, दिनांक 15/12/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (टन)
24/06/2017 से 31/03/2018	15,218
01/04/2018 से 31/03/2019	14,150
01/04/2019 से 31/03/2020	14,150
01/04/2020 से 30/06/2020	14,150

समिति द्वारा यह पाया गया है कि दिनांक 24/06/2017 से 31/03/2018 में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित उत्खनन मात्रा से अधिक उत्खनन कार्य किया गया है, जो कि उल्लंघन की श्रेणी में आता है। समिति का मत है कि विगत वर्षों (वित्तीय वर्ष अनुसार) किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही समिति का यह भी मत है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/01/2022 के अनुसार "The interim order passed by the Madras High Court appears to be misconceived. However, this Court is not hearing an appeal from that interim order. The interim stay passed by the Madras High Court can have no application to operation of the Standard Operating Procedure to projects in territories beyond the territorial jurisdiction of Madras High Court. Morever, final decision may have been taken in accordance with the Orders/Rules prevailing prior to 7th July, 2021" का उल्लेख है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 07/07/2022 के अनुसार उल्लंघन के प्रकरणों हेतु स्टैण्डर्ड ऑफ प्रोसिजर (SOP) जारी की गई है, जिसके अनुसार:–

i. Such cases of violation shall be subject to appropriate
   a) Damage Assessment
   b) Remedial Plan and
   c) Community Augmentation Plan by the Central level Sectoral Expert Appraisal Committees or State/UnionTerritory level Expert Appraisal Committees, as the case may be.

ii. The Competent Authority shall issue directions to the project proponent, under section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 on case to case basis mandating payment of such amount (as may be determined based on Polluters Pay principle) and undertaking activities relating to Remedial Plan and Community Augmentation Plan (to restore environmental damage caused including its social aspects).

iii. Penalty provisions for violation cases and applications: Where operation have commenced without EC: 1% of the total project cost incurred up to the date of filing of application along with EIA/EMP report PLUS 0.25% of the total turnover during the period of violation.

उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – प्रदूषण शोधक संयंत्र एवं वृक्षारोपण के संबंध में ग्राम पंचायत मंदिरहसौद का दिनांक 28/10/2009 का अनापत्ति

प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मंदिरहसौद का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी स्कीम विथ क्वारी क्लोजर स्कीम एण्ड इन्व्हायरोनमेंट मैनेजमेन्ट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त – संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 499/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.04/2019(1) नवा रायपुर, दिनांक 07/02/2022 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1389/ख.लि./तीन–6/2022 रायपुर, दिनांक 07/09/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 18 खदानें, रकबा 31.133 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1389/ख.लि. /तीन–6/2022 रायपुर, दिनांक 07/09/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, नदी, नाला, एनीकट, तालाब, रेल लाईन एवं बांध आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नही है।

6. **लीज का विवरण** – लीज श्री मोटूमल आडवानी के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 28/11/2005 से 27/11/2015 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 28/11/2015 से 27/11/2025 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 725/2 श्री शिव कुमार अग्रवाल एवं खसरा क्रमांक 745 श्री नरेश कुमार के नाम पर है। खसरा क्रमांक 747 शासकीय भूमि है। भूमि खसरा क्रमांक 748 के भू–स्वामित्व की जानकारी तथा उत्खनन हेतु भू–स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–मंदिरहसौद 1.5 कि. मी मीटर, स्कूल ग्राम–मंदिरहसौद 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल 9.59 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 5 कि.मी. दूर है। नहर 200 मीटर एवं तालाब 2.5 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 2,07,065 टन एवं माईनेबल रिजर्व 76,760 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,794 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 12 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 3,274 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	15,347.5
द्वितीय	15,360
तृतीय	15,360
चतुर्थ	15,360
पंचम	13,375

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7.75 घनमीटर प्रतिदिन होती है। खदान में जल की आपूर्ति का माध्यम/स्त्रोत एवं संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 100 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर सीमा पट्टी का क्षेत्रफल 4,794 वर्गमीटर है जिसमें से 1,599 वर्गमीटर क्षेत्र 9 मीटर की गहराई तक उत्खनन किया गया है, जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वारी प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:–

    "The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

    उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य

(ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1389/ख. लि./तीन–6/2022 रायपुर, दिनांक 07/09/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 18 खदानें, रकबा 31.133 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–मंदिरहसौद) का रकबा 1.035 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–मंदिरहसौद) को मिलाकर कुल रकबा 32.168 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन के संबंध में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को पत्र लेख किया जाए।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. **Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.**

ii. Project proponent shall submit the NOC from forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.

iii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

iv. Project proponent shall submit the NOC from Gram Panchayat for mining (with meeting date).

v. Project proponent shall submit the land documents (B-1) of khasra number 748 with consent letter from land owners for uses of land.

vi. Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.

vii. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

viii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

ix. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

x. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

xi. Project proponent shall submit production details to till date from the mining department.

xii. Project proponent shall submit the details of water requirement along with its source and shall also submit a copy of NOC for usage of water from competent authority.

xiii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

xiv. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the Industries located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xvi. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xvii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xviii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the mined out area and remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xix. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xx. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xxi. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xxii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

xxiii. Preparation of EMP comprising remediation plan and natural and community resource augmentation plan corresponding to ecological damage assessed and economic benefits derived due to violation.

xxiv. The remediation plan and the natural and community resource augmentation plan to be prepared as an independent chapter in the EIA eport by accredited consultants.

xxv. Project proponent shall be the details of turn over.

xxvi. The Project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirement and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. before grant of ToR / EC. The undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation in future.

xxvii. In case of violation of above undertaking, the ToR / EC shall be liable to be terminated forthwith.

xxviii. The Environment Clearance will not be operational till such time the Project Proponent complies with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors.

xxix. State Government concerned shall ensure that mining operation shall not commence till the entire compensation levied, if any, for illegal mining paid by the Project Proponent through their respective Department of Mining & Geology in strict compliance of judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स धनसुली लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री अब्दुल मलिक), ग्राम–धनसुली, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2079)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 77950/2022, दिनांक 12/06/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 22/06/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 16/11/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। ग्राम–धनसुली, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 705, 706 एवं 716, कुल क्षेत्रफल–1.6 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–11,050 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 442वीं बैठक दिनांक 16/12/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री लक्ष्मीकांत साहू, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 705, 706 एवं 716, कुल क्षेत्रफल–1.6 हेक्टेयर, क्षमता–11,120 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–रायपुर द्वारा दिनांक 24/06/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 23/06/2022 की अवधि हेतु वैध थी।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:–

   "9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

   उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 23/06/2023 तक वैध होगी।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार 150 नग वृक्षारोपण किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/क./ख.लि./तीन–6/2022/1589 रायपुर, दिनांक 13/09/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (टन)
2017–18	100
2018–19	360
2019–20	370
2020–21	160
2021–22	110

समिति का मत है कि दिनांक 01/04/2022 से किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत धनसुली का दिनांक 06/12/2006 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत धनसुली का (कार्यवाही विवरण बैठक एवं दिनांक सहित) अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी स्कीम विथ प्रोग्रेसिव क्वारी क्लोजर स्कीम एण्ड इन्व्हायरोनमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्र. 2737/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.04/2019(2) नवा रायपुर, दिनांक 30/05/2022 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1588/ख.लि./तीन–6/2022 रायपुर, दिनांक 13/09/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 92 खदानें, क्षेत्रफल 184.32 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1588/ख.लि./तीन–6/2022 रायपुर, दिनांक 13/09/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल एवं रेल लाईन आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **लीज डीड का विवरण** – लीज श्री अब्दुल मलिक के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 09/01/2007 से 08/01/2017 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 09/01/2017 से 08/01/2037 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है। अतः समिति का मत है कि लीज डीड की वैधता अवधि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

7. **भू–स्वामित्व** – भू–स्वामित्व संबंधी दस्तावेज एवं उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–धनसुली 1.8 कि.मी., स्कुल ग्राम–धनसुली 1.8 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–मंदिर हसौद 8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 5 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 9,47,845 टन, माईनेबल रिजर्व 1,99,452 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,796 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 26 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 2,100 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	10,500
द्वितीय	10,700
तृतीय	11,050
चतुर्थ	11,020
पंचम	11,002.5

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में कुल 855 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 7,496 वर्गमीटर है, जिसमें से 1,653 वर्गमीटर क्षेत्र 6 मीटर की गहराई तक उत्खनित है जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन

है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध जांच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष बताया गया कि आवेदक श्री अब्दुल मलिक के पक्ष में स्वीकृत चूना पत्थर उत्खनिपट्टा क्षेत्र का स्वीकृत क्षेत्र में 400 मी. टन खनिज के अवैध उत्खनन किया गया है। उक्त के संबंध में उनके विरूद्ध अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज किया जाकर रूपये 1,53,000/– अर्थदण्ड आरोपित कर राशि वसूल की गई है। जिसका चालान समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

17. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:–

    "The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

    उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

18. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

    a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

    b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1588/ख. लि./तीन–6/2022 रायपुर, दिनांक 13/09/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 92 खदानें, क्षेत्रफल 184.32 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–धनसुली) का रकबा 1.6 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–धनसुली) को मिलाकर कुल रकबा 185.92 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को

क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन के संबंध में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को पत्र लेख किया जाए।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
   ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
   iii. Project proponent shall submit compliance report of previous environmental clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.
   iv. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
   v. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.
   vi. Project proponent shall submit production details to till date from the mining department.
   vii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
   viii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
   ix. Project proponent shall submit the land documents (B-1) with consent letter from land owners for uses of land.
   x. Project proponent shall submit the NOC from forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.
   xi. Project proponent shall submit the latest NOC from Gram Panchayat for mining (with proceedings and meeting date).

xii. Project proponent shall submit the extended lease deed copy.

xiii. Project proponent shall submit the NOC for usage of water from CGWA.

xiv. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xv. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xvi. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xvii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xviii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xix. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the mined out area and remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xx. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xxi. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xxii. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xxiii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. **मेसर्स क्रशर स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री हरकेश तिवारी), ग्राम–डोमनापारा, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया (वर्तमान में जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर) (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2156)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 400731/2022, दिनांक 21/09/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 10/10/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 21/10/2022 (तकनीकी खराबी होने के कारण ऑनलाईन साईट में 17/11/2022 को प्रदर्शित) द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित पत्थर (गौण खनिज) खदान है। ग्राम–डोमनापारा, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया (वर्तमान में जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर) स्थित खसरा क्रमांक – 525, कुल क्षेत्रफल–1 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–17,004 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 442वीं बैठक दिनांक 16/12/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री कृष्ण मुरारी तिवारी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि पूर्व में पत्थर क्रशर (डोलेराईट साधारण पत्थर) खदान खसरा क्रमांक 525, कुल क्षेत्रफल–1 हेक्टेयर, क्षमता–6,540 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–कोरिया द्वारा दिनांक 24/11/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 23/11/2022 तक की अवधि हेतु वैध थी। इस संबंध में समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

साथ ही समिति द्वारा शिकायत का अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त खदान के संबंध में श्री गौरव कुमार गुप्ता, निवासी पुरानी बस्ती वार्ड क्रमांक 17, मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया द्वारा "श्री हरकेश तिवारी द्वारा स्वीकृत खनिज क्षेत्र के अलावा अधिक मात्रा में अवैध उत्खनन परिवहन व शर्तों का उल्लंघन करने बाबत्।" शिकायत दिनांक 19/09/2022 को प्रेषित किया गया है। शिकायत में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

1. "पट्टेदार द्वारा क्षेत्र के अलावा पास के शासकीय भूमि पर अवैध ब्लास्टिंग करा कर अवैध उत्खनन कराया जाता है, जबकि अवैध ब्लास्टिंग कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है, पट्टेदार के क्रेशर पर ब्लास्टिंग होल में उपयोग किया जाने वाला कम्प्रेशर एवं बारूद एवं ब्लास्टिंग सामग्री जांच कर प्राप्त की जा सकती है।

2. पट्टेदार द्वारा सीमांकन क्षेत्र से अधिक क्षेत्र में अवैध खनन किया गया है एवं NGT नियमावली के अनुसार अधिक गहराई में भी खनन का कार्य किया गया है।

3. पट्टेदार द्वारा अवैध खनिज का परिवहन किया जाता है, जिसका ब्योरा उनके क्रशर के बिजली बिल का मिलान काटी गयी रायल्टी से करने पर प्राप्त किया जा सकता है।

4. पट्टेदार के पास पर्यावरण द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र लगभग दो वर्षों से नहीं है, परन्तु क्रेशर का संचालन लगातार जारी है।

5. CSR मद में प्रतिवर्ष 50,000 रुपये व्यय करने थे जो कि आज दिनांक तक नहीं किया गया है जबकि खदान पिछले 10 वर्षो से स्वीकृत है।

6. मौके जांच पर खदान एवं क्रेशर क्षेत्र में रखे गए खनिज का मिलान दस्तावेज अनुसार नहीं है।

7. पट्टेदार द्वारा जारी की गई रायल्टी से अधिक उत्खनन किया गया है।

8. माइनिंग प्लान के अनुसार उत्खनन कार्य नहीं किया गया है, एवं सीमा से अधिक उत्खनन कर बिक्री किया जा चुका है।

9. पर्यावरण विभाग से प्राप्त सम्मति अनुसार खदान क्षेत्र के परिधि में साढ़े सात (7.5) मीटर की चौड़ी पट्टी छोड़ वृक्षारोपण किया जाना था। जिसे उत्खनन कर बेचा जा चुका है।

10. नियमानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

11. खदान क्षेत्र में श्रमिकों के लिये आवास, पेयजल एवं चिकित्सा इत्यादि की सुविधा नहीं है।

12. नियमानुसार 100 पेड़ प्रतिवर्ष लगवाना था किन्तु एक भी पेड़ नहीं लगवाया गया है।"

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में शिकायत पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं की जाँच संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर से कराये जाने एवं तथ्यात्मक जानकारी / जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने उपरांत प्रकरण पर आगामी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर को सूचित किया जाए।

2. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक एवं कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को पत्र लेख किया जाए।

9. **मेसर्स क्रशर स्टोन क्वारी (प्रो.– श्रीमती राधिका तिवारी), ग्राम–हस्तिनापुर, तहसील–मनेन्द्रगढ, जिला–कोरिया (वर्तमान में जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर) (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2157)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 400790/2022, दिनांक 22/09/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 10/10/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 26/10/2022 (तकनीकी खराबी होने के कारण ऑनलाईन साईट में 17/11/2022 को प्रदर्शित) द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित पत्थर (गौण खनिज) खदान है। ग्राम–हस्तिनापुर, तहसील–मनेन्द्रगढ, जिला–कोरिया (वर्तमान में जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर) स्थित खसरा क्रमांक – 299, कुल क्षेत्रफल–0.83 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–15,444 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन, दिनांक 09/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 442वीं बैठक दिनांक 16/12/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री कृष्ण मुरारी तिवारी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि पूर्व में पत्थर क्रशर (डोलेराईट साधारण पत्थर) खदान खसरा क्रमांक 299, कुल क्षेत्रफल–0.89 हेक्टेयर, क्षमता–5,940 घनमीटर (15,444 टन) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–कोरिया द्वारा दिनांक 24/11/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष की अवधि हेतु वैध थी। इस संबंध में समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

साथ ही समिति द्वारा शिकायत का अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त खदान के संबंध में श्री गौरव कुमार गुप्ता, निवासी पुरानी बस्ती वार्ड क्रमांक 17, मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया द्वारा "श्रीमती राधिका तिवारी द्वारा स्वीकृत खनिज क्षेत्र के अलावा अधिक मात्रा में अवैध उत्खनन परिवहन व शर्तो का उल्लंघन करने बाबत्।" शिकायत दिनांक 19/09/2022 को प्रेषित किया गया है। शिकायत में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

1. "पट्टेदार द्वारा क्षेत्र के अलावा पास के शासकीय भूमि पर अवैध ब्लास्टिंग करा कर अवैध उत्खनन कराया जाता है, जबकि अवैध ब्लास्टिंग कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है, पट्टेदार के क्रेशर पर ब्लास्टिंग होल में उपयोग किया जाने वाला कम्प्रेशर एवं बारूद एवं ब्लास्टिंग सामग्री जांच कर प्राप्त की जा सकती है।
2. पट्टेदार द्वारा सीमांकन क्षेत्र से अधिक क्षेत्र में अवैध खनन किया गया है एवं NGT नियमावली के अनुसार अधिक गहराई में भी खनन का कार्य किया गया है।

3. पट्टेदार द्वारा अवैध खनिज का परिवहन किया जाता है, जिसका ब्योरा उनके क्रशर के बिजली बिल का मिलान काटी गयी रायल्टी से करने पर प्राप्त किया जा सकता है।

4. पट्टेदार के खदान एवं क्रेशर के नजदीक जीवनदायनी हसदेव नदी बहती है, जो कि लगातार प्रदूषित हो रही है एवं जिसका निरंतर दोहन हो रहा है।

5. CSR मद में प्रतिवर्ष 50,000 रुपये व्यय करने थे जो कि आज दिनांक तक नहीं किया गया है जबकि खदान पिछले 10 वर्षो से स्वीकृत है।

6. मौके जांच पर खदान एवं क्रेशर क्षेत्र में रखे गए खनिज का मिलान दस्तावेज अनुसार नहीं है।

7. पट्टेदार द्वारा जारी की गई रायल्टी से अधिक उत्खनन किया गया है।

8. माइनिंग प्लान के अनुसार उत्खनन कार्य नहीं किया गया है, एवं सीमा से अधिक उत्खनन कर बिक्री किया जा चुका है।

9. पर्यावरण विभाग से प्राप्त सम्मति अनुसार खदान क्षेत्र के परिधि में साढ़े सात (7.5) मीटर की चौड़ी पट्टी छोड़ वृक्षारोपण किया जाना था। जिसे उत्खनन कर बेचा जा चुका है।

10. नियमानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

11. खदान क्षेत्र में श्रमिकों के लिये आवास, पेयजल एवं चिकित्सा इत्यादि की सुविधा नहीं है।

12. नियमानुसार 100 पेड़ प्रतिवर्ष लगवाना था किन्तु एक भी पेड़ नहीं लगवाया गया है।

13. पट्टेदार द्वारा अवैध ब्लास्टिंग की जा रही है इसका प्रमाण खनिज इंस्पेक्टर द्वारा बनाए गए निरीक्षण प्रतिवेदन में दर्ज है।"

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में शिकायत पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं की जाँच संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर से कराये जाने एवं तथ्यात्मक जानकारी / जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने उपरांत प्रकरण पर आगामी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर को सूचित किया जाए।

2. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक एवं कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को पत्र लेख किया जाए।

10. मेसर्स क्रशर स्टोन क्वारी (जय अम्बे स्टोन क्रशर, प्रो.– श्री कृष्णा मुरारी तिवारी), ग्राम–हस्तिनापुर, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया (वर्तमान में जिला–मनेन्द्रगढ़– चिरमिरी–भरतपुर) (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2158)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 400843/2022, दिनांक 22/09/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 10/10/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 16/11/2022 द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित पत्थर (गौण खनिज) खदान है। ग्राम–हस्तिनापुर, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया (वर्तमान में जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर) स्थित खसरा क्रमांक 15, कुल क्षेत्रफल–2 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–8,970 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 442वीं बैठक दिनांक 16/12/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री कृष्ण मुरारी तिवारी, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों का क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक है। अतः परियोजना प्रस्तावक को टी.ओ.आर. हेतु ऑनलाईन आवेदन किया जाना था परन्तु उनके द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

साथ ही समिति द्वारा शिकायत का अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त खदान के संबंध में श्री गौरव कुमार गुप्ता, निवासी पुरानी बस्ती वार्ड क्रमांक 17, मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया द्वारा "श्री कृष्ण मुरारी तिवारी द्वारा स्वीकृत खनिज क्षेत्र के अलावा अधिक मात्रा में अवैध उत्खनन परिवहन व शर्तो का उल्लंघन करने बाबत्।" शिकायत दिनांक 19/09/2022 को प्रेषित किया गया है। शिकायत में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

1. "पट्टेदार द्वारा क्षेत्र के अलावा पास के शासकीय भूमि पर अवैध ब्लास्टिंग करा कर अवैध उत्खनन कराया जाता है, जबकि अवैध ब्लास्टिंग कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है, पट्टेदार के क्रेशर पर ब्लास्टिंग होल में उपयोग किया जाने वाला कम्प्रेशर एवं बारूद एवं ब्लास्टिंग सामग्री जांच कर प्राप्त की जा सकती है।
2. पट्टेदार द्वारा सीमांकन क्षेत्र से अधिक क्षेत्र में अवैध खनन किया गया है एवं NGT नियमावली के अनुसार अधिक गहराई में भी खनन का कार्य किया गया है।
3. पट्टेदार द्वारा अवैध खनिज का परिवहन किया जाता है, जिसका ब्योरा उनके क्रशर के बिजली बिल का मिलान काटी गयी रायल्टी से करने पर प्राप्त किया जा सकता है।
4. पट्टेदार के पास पर्यावरण द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र लगभग दो वर्षों से नहीं है, परन्तु क्रेशर का संचालन लगातार जारी है।
5. पट्टेदार के पास पर्यावरण द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं है, परन्तु खदान का संचालन जारी है।

6. CSR मद में प्रतिवर्ष 50,000 रुपये व्यय करने थे जो कि आज दिनांक तक नहीं किया गया है, जबकि खदान पिछले 10 वर्षो से स्वीकृत है।
7. मौके जांच पर खदान एवं क्रेशर क्षेत्र में रखे गए खनिज का मिलान दस्तावेज अनुसार नहीं है।
8. पट्टेदार द्वारा जारी की गई रायल्टी से अधिक उत्खनन किया गया है।
9. माइनिंग प्लान के अनुसार उत्खनन कार्य नही किया गया है, एवं सीमा से अधिक उत्खनन कर बिक्री किया जा चुका है।
10. पर्यावरण विभाग से प्राप्त सम्मति अनुसार खदान क्षेत्र के परिधि में साढ़े सात (7.5) मीटर की चौड़ी पट्टी छोड़ वृक्षारोपण किया जाना था। जिसे उत्खनन कर बेचा जा चुका है।
11. नियमानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
12. खदान क्षेत्र में श्रमिकों के लिये आवास, पेयजल एवं चिकित्सा इत्यादि की सुविधा नहीं है।
13. नियमानुसार 100 पेड़ प्रतिवर्ष लगवाना था किन्तु एक भी पेड़ नहीं लगवाया गया है।
14. पट्टेदार द्वारा अवैध ब्लास्टिंग की जा रही है इसका प्रमाण खनिज इंस्पेक्टर द्वारा बनाए गए निरीक्षण प्रतिवेदन में दर्ज है।"

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में शिकायत पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं की जाँच संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर से कराये जाने एवं तथ्यात्मक जानकारी / जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने उपरांत प्रकरण पर आगामी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर को सूचित किया जाए। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक एवं कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर को पत्र लेख किया जाए।
2. आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट / निरस्त किये जाने तथा विधिवत् आवेदन किये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को लेख किये जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(कलदियुस तिर्की)
सदस्य सचिव
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

(डॉ. बी.पी. नोन्हारे)
अध्यक्ष
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़